विधिक प्रतिनिधियों के जरीये सिरिल लसराडो (मृतक) और अन्य

बनाम

जूलियाना मारिया लसराडो और अन्य

12 अगस्त, 2004

[अरिजीत पासायत और सी. के. ठक्कर, जे.जे.]

भारत का संविधान, 1950 :

अनुच्छेद 226-रिट क्षेत्राधिकार-मस्तिष्क का अप्रयोग- लगभग 19 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक मृत व्यक्ति के खिलाफ रिट याचिका दर्ज की गई थी-- अस्पष्टीकृत देरी- एकल न्यायाधीश ने बिना मृतक के विधिक प्रतिनिधियों (एल. आर.) को नोटिस जारी किए रिट याचिका का निस्तारणकर दिया - एकल न्यायाधीश का विचार था कि चूंकि मामला न्यायाधिकरण को भेजा जा रहा है, इसलिए एल. आर. को रिकॉर्ड में नहीं लाए जाने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा-खंड पीठ ने बिना कोई कारण दिए अपील को खारिज कर एकल न्यायाधीश का निर्णय यथावत रखा-एकल न्यायाधीश एवं खंड पीठ के आदेश स्पष्ट रूप से दर्शातें है कि विवेक का उपयोग नहीं किया गया-कारणों की अनुपस्थिति ने उच्च न्यायालय के निर्णय को अधारणीय बना दिया है-इसलिए, गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय के लिए मामला एकल न्यायाधीश को वापस भेजा जाता है।

अनुच्छेद 226-पोषणीयता -एक मृत व्यक्ति के खिलाफ लगभग 19 साल के लंबे अंतराल के बाद दायर रिट याचिका-विलंब/गफलत-एकल न्यायाधीश ने लंबे विलंब पर विचार किए बिना और विधिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाए बिना रिट याचिका का निस्तारण किया- सुरक्षित रखा गया- इसने प्रथम दृष्टया एकल न्यायाधीश के आदेश को अधारनीय बना दिया।

प्रशासनिक विधि: प्राकृतिक न्याय-कारण-देने का महत्व- निर्णय: कारण एक आदेश में स्पष्टता का परिचय देते हैं और व्यक्तिपरकता को वस्तुनिष्ठता से प्रतिस्थापित करते हैं -कारण देना प्राकृतिक न्याय की हितकारी आवश्यकताओं में से एक है।

अपीलार्थियों के पूर्ववर्ती (आवेदक) ने भूमि न्यायाधिकरण के समक्ष संबंधित भूमि का अधिभोगकर्ता के तौर से अपना नाम दर्ज करने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसकी अनुमति दी गई थी।

न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध लगभग 19 साल की लंबी देरी के बाद प्रत्यर्थियों द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी। यह याचिका आवेदक के खिलाफ दायर की गई थी। मृत्यु हो गई थी। इस तथ्य को एकल न्यायाधीश के ध्यान में लाया गया था। लेकिन एकल न्यायाधीश का विचार था कि चूंकि मामला न्यायाधिकरण को भेजा जा रहा था, इसलिए कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा यदि मृतक के विधिक प्रतिनिधि रिकॉर्ड में नहीं

लाए जाते हैं तो। तदनुसार, मामला नए निर्णय के लिए न्यायाधिकरण को भेजा गया।अपीलार्थियों ने खंड पीठ के समक्ष तर्क दिया कि रिट याचिका लगभग 19 साल के लंबे अंतराल के बाद एक मृत व्यक्ति के खिलाफ दायर की गई थी। और याचिका का मृतक के विधिक प्रतिनिधियों को नोटिस जारी किए बिना निस्तारण कर दिया गया। लेकिन खंड पीठ ने भी इस सवाल पर ध्यान नहीं दिया कि पर्याप्त न्याय कैसे किया गया था और बिना कोई कारण बताए अपील को खारिज कर दिया। इसलिए याचिका दायर की गई है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि रिट याचिका न्यायाधिकरण द्वारा मामले के निपटारे के लगभग 19 वर्षों के बाद दायर की गई थी, मृतक के विधिक प्रतिनिधियों को नोटिस जारी किए बिना मामले का निस्तारण कर दिया। इसने प्रथम दृष्टया एकल न्यायाधीश के आदेश को असुरक्षित बना दिया। खंड पीठ ने बिना कोई कारण बताए एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष पर पहुंचे बिना, इस पर रिट अपील को खारिज कर दिया गया। [516-जी-एच; 517-ए]

2. एकल न्यायाधीश का आदेश और खंड पीठ का आक्षेपित निर्णय स्पष्ट रूप से मस्तिष्क के अप्रयोग को दर्शाता है। उत्तरार्द्ध व्यावहारिक रूप से गैर-तर्कसंगत है। अपीलार्थियों द्वारा उठाया गया मूल मुद्दा था रिट

आवेदन दाखिल करने में अस्पष्टीकृत देरी। एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को नोटिस जारी किए बिना रिट याचिका के निपटारे से पहले उस पहलू पर विचार नहीं किया। यद्यपि विशेष रूप से तर्क व आग्रह किया गया, खंड पीठ ने इस पर विचार नहीं किया है और न ही उस मुद्दे पर कोई निष्कर्ष दर्ज किया है और न ही कोई कारण बताया गया है। [517-सी-डी]

3.1 कारण एक आदेश में स्पष्टता का परिचय देते हैं। न्याय के स्पष्ट विचार पर, उच्च न्यायालय को अपने कारण बताने चाहिए थे,चाहे वह कितना ही संक्षिप्त क्यों न हो, यह उसके आदेश में उसके मस्तिष्क के प्रयोग का संकेत है,और भी अधिक जब इसका आदेश चुनौती के आगे के अवसर के लिए उत्तरदायी हो।कारणों के अभाव के कारण उच्च न्यायालय का फैसला अधारणीय रहा। [517-डी-ई]

3.2 कारण व्यक्तिपरकता को वस्तुनिष्ठता से प्रतिस्थापित करते हैं। कारण दर्ज करने पर जोर देने वाली बात यह है कि यदि निर्णय "ष्स्फिंक्स के अस्पष्ट चेहरे" को प्रकट करता है, तो यह अपनी खामोशी से, न्यायालयों के लिए अपने अपीलीय कार्य को पूरा करना या पुनर्विलोकन शक्ति का प्रयोग निर्णय की वैधता का निर्णय लेने में लगभग असंभव बना सकता है। तर्क का अधिकार एक मजबूत न्यायिक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है। निर्णय का कारण, कम से कम पर्याप्त, न्यायालय के समक्ष मामले में मस्तिष्क के अनुप्रयोग को इंगित करने के लिए दिया जाना चाहिए। एक

अन्य तर्क यह है कि प्रभावित पक्ष को पता चल सकता है कि निर्णय उसके खिलाफ क्यों गया है। प्राकृतिक न्याय की हितकारी आवश्यकताओं में से एक आदेश के कारणों को स्पष्ट करना है, दूसरे शब्दों में, बोल कर व्यक्त करना। "ष्स्फिंक्स का अस्पष्ट चेहरा" आम तौर पर न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्रदर्शन के साथ असंगत होता है। [517-जी; 518-ए]

ब्रीन बनाम अमाल्गमेटेड इंजीनियरिंग यूनियन, [1971] 1 ए एल एल ई. आर. 1148 और अलेक्जेंडर मशीनरी (डडली) लिमिटेड बनाम क्रेबट्री, 1974 आई. सी. आर. 120, संदर्भित किया गया।

4. यह प्रस्तुत किया गया था कि योग्यता पर कई कारक थे जिसे एकल न्यायाधीश के समक्ष उजागर नहीं किया जा सका क्योंकि उन्होंने गुण-दोष के आधार पर मामले से निपटने का विकल्प नहीं चुना, लेकिन मामले न्यायाधिकरण को रिमांड करने का आदेश पारित कर दिया। इन परिस्थितियों यदि मामला गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए एकल न्यायाधीश को वापस भेजा जाता है तो वह उचित होगा। [518 – बी-सी

सिविल अपील क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 5220/2004

कर्नाटक उच्च न्यायालय के डब्ल्यू. (एल.आर.) ए.सं. 1660/2000 में निर्णय और आदेश दिनांक 9.7.2002 से।

आर. एस. हेगड़े, सुश्री सावित्री पांडे, चंद्र प्रकाश और पी. पी. सिंह अपीलार्थी की ओर से।

उत्तरदाताओं के लिए एस. एन. भट और डी. पी. चतुर्वेदी। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था।

अरिजीत पसायत, जे.।

अनुमति दी गई।

कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय जिससे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को सुरक्षित रखा गया था उसे इस अपील में चुनौती दी गई।

तथ्यात्मक पहलुओं पर थोड़ा विस्तार से ध्यान देना आवश्यक है। भूमि न्यायाधिकरण, मैंगलोर, तालुक मैंगलोर (संक्षेप में 'श्ट्रिब्यूनल') ने दिनांक 19.10.1978 के आदेश द्वारा एक सिरिल लासराडो (इसके समक्ष आवेदक) की प्रार्थना स्वीकार कर ली, जिसमें उसने संबंधित भूमि के कब्जेदार के रूप में अपना नाम दर्ज करने की प्रार्थना की थी। आवेदक वर्तमान अपीलकर्ताओं का पूर्ववर्ती-हितधारक था। उक्त आदेश के द्वारा, ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम,1961 (संक्षेप में 'अधिनियमश') की धारा 48-ए के संदर्भ में आदेश में उल्लिखित भूमि के कब्जेदार के रूप में सिरिल लासराडो के पंजीकरण का निर्देश दिया। चूँकि कुछ अनुतोष, जिनके लिए प्रार्थना की गई थी, प्रदान नहीं किए गए सिरिल

लासराडो ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष 1992 की रिट याचिका संख्या 29259 दायर की। प्रतिवादी जो सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी धारक था और प्रतिवादी नं. 2 ने रिट याचिका में पक्षकार बनने के लिए एक आवेदन दायर किया जिसे खारिज कर दिया गया। वाद संख्या ओएस. 1994 का 499 अपीलकर्ताओं द्वारा उत्तरदाताओं द्वारा अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए दायर किया गया था। मुकदमे का फैसला 30.11.1995 को हुआ। पावर ऑफ अटॉर्नी धारक और प्रतिवादियों में से एक उपरोक्त मुकदमे के पक्षकार थे। इस दौरान सिरिल लासराडो की मृत्यु हो गई। उपस्थित प्रत्यर्थियो द्वारा ट्रिब्यूनल के दिनांक 19.10.1978 के आदेश की सत्यता पर सवाल उठाते हुए एक रिट याचिका दायर की गई थी। सिरिल लासराडो के खिलाफ भी यही मामला दायर किया गया था, हालांकि उनकी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। रिट याचिका का निपटान एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा एक विचित्र आदेश द्वारा किया गया। हालाँकि कर्नाटक राज्य और उसके अधिकारियों ने विद्वान एकल न्यायाधीश के ध्यान में लाया कि सिरिल लासराडो की मृत्यु हो गई है, विद्वान न्यायाधीश का विचार था कि अपने कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा इसलिए मनन किया गया क्योंकि विद्वान न्यायाधीश का विचार था कि मामला ट्रिब्यूनल को भेजा जाना चाहिए और कानूनी प्रतिनिधियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तदनुसार, मामला पुनः परीक्षण से निर्णय के लिए ट्रिब्यूनल को भेज दिया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश के

आदेश को अपीलकर्ताओं द्वारा खंडपीठ के समक्ष रिट अपील दायर करके चुनौती दी गई थी, जिसे आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था। डिवीजन बेंच ने केवल पक्षों की दलीलें नोट कीं और निम्नानुसार टिप्पणी की: मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए ट्रिब्यूनल को भेज दिया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को अपीलकर्ताओं द्वारा डिवीजन बेंच के समक्ष रिट अपील दायर करके चुनौती दी गई थी, जिसे आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था। डिवीजन बेंच ने केवल पक्षों की दलीलें नोट कीं और निम्नानुसार टिप्पणी की:

> "हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के साथ-साथ सरकारी वकील को भी सुना है और रिकॉर्ड पर उपस्थित सभी सामग्री का अवलोकन किया है।
>
> विचार करने पर, हमें विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में कोई त्रुटि या अवैधता नहीं मिली जिससे किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। हालाँकि, ट्रिब्यूनल पीड़ित पक्षों को अवसर देने के बाद उनकी बात सुनेगा और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करेगा।
>
> रिट अपील का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।"

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान अपीलकर्ताओं ने खंडपीठ के समक्ष यह तथ्य लाया कि रिट अपील दायर करने में 138 दिनों का

विलंब हुआ था क्योंकि उन्हें रिट याचिका दायर करने और इसके निर्णित हो जाने के बारे में जानकारी नहीं थी और जब उन्हें इसके बारे में जानकारी मिली, उन्होंने प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया और उसे प्राप्त करने के बाद रिट अपील दायर की। गुणावगुण के आधार पर यह भी प्रस्तुत किया गया कि लगभग 19 वर्षों की लंबी अवधि के बाद एक मृत व्यक्ति के खिलाफ रिट याचिका दायर की गई थी और नोटिस जारी किए बिना ही रिट याचिका का फैसला कर दिया गया था।

प्रत्यार्थियों का दावा यह था कि विलंब का उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। किसी भी स्थिति में, नोटिस जारी न करने से कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न नहीं हुआ। संक्षेप में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश का समर्थन किया गया।

अपील के समर्थन में, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह मामला विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंडपीठ द्वारा मस्तिष्क का अप्रयोग दर्शाता है। विधिक प्रतिनिधियों को नोटिस जारी किए बिना ही मामले को स्पष्ट रूप से गलत आधार पर निपटा दिया गया कि यदि मामले को वापस भेज दिया गया तो कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा, इस तथ्य को देखते हुए कि रिट याचिका लगभग 19 वर्षों के विलंब से बिना उचित स्पष्टीकरण दिए दायर की गई थी। यह एक स्वीकृत तथ्य है और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से ही स्पष्ट है कि कर्नाटक राज्य और

उसके पदाधिकारियों ने इस तथ्य को स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड पर लाया था कि मूल आवेदक सिरिल लासराडो की मृत्यु हो गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश का निष्कर्ष कि कानूनी प्रतिनिधियों के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा, निराधार है। खंडपीठ द्वारा इस विषय पर ध्यान नहीं दिया गया कि किस प्रकार सारभूत न्याय किया गया है और हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश और खंडपीठ का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से तर्कसंगत नहीं है। डिविजन बेंच की ओर से कोई कारण नहीं बताया गया है.

जाहिर तौर पर, इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि ट्रिब्यूनल द्वारा मामले के निपटारे के लगभग 19 साल बाद रिट याचिका दायर की गई थी, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कानूनी प्रतिनिधियों को नोटिस जारी किए बिना भी मामले का निपटारा कर दिया। रिट याचिका लगभग दो दशकों के बाद दायर की गई थी। इसने प्रथम दृष्टया एकल न्यायाधीश के आदेश को असुरक्षित बना दिया। डिवीजन बेंच ने बिना कोई कारण बताए कि विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष कैसे थे, रिट अपील को खारिज कर दिया।

उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने कहा कि सारभूत न्याय किया गया है। ट्रिब्यूनल का आदेश प्रथम दृष्टया अवैध है और इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले को ट्रिब्यूनल को भेजना वांछनीय समझा। यहां तक

कि खंड पीठ ने निर्देश दिया है कि पीड़ित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और इसलिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं है।

विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश और खंड पीठ के आक्षेपित निर्णय स्पष्ट रूप से मस्तिष्क का अप्रयोग करने को दर्शाते हैं। उत्तरार्द्ध व्यावहारिक रूप से गैर-तर्कसंगत है। अपीलकर्ताओं द्वारा उठाया गया मूल मुद्दा रिट आवेदन दाखिल करने में अस्पष्ट देरी थी। न तो एकल न्यायाधीश ने वर्तमान अपीलकर्ताओं को नोटिस जारी किए बिना रिट याचिका के निपटान से पहले उस पहलू पर विचार किया। हालांकि विशेष रूप से आग्रह किया गया और तर्क दिया गया, डिवीजन बेंच ने भी इस पर विचार नहीं किया है और उस मुद्दे पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है और कोई कारण नहीं बताया गया है। कारण किसी आदेश में स्पष्टता लाते हैं। न्याय के स्पष्ट विचार पर, उच्च न्यायालय को अपने आदेश में, चाहे वह कितना भी संक्षिप्त क्यों न हो, अपने मस्तिष्क के प्रयोग का संकेत देते हुए, अपने कारण सामने रखने चाहिए थे, खासकर तब जब उसका आदेश चुनौती के आगे के अवसर के लिए उत्तरदायी हो। कारणों की अनुपस्थिति ने उच्च न्यायालय के फैसले को अधारणीय बना दिया है।

यहां तक कि प्रशासनिक आदेशों के संबंध में भी ब्रीन बनाम अमलगमेटेड इंजीनियरिंग यूनियन (1971 (1) ऑल ईआर 1148) में लॉर्ड

डेनिंग एम.आर. ने कहा, "कारण बताना अच्छे प्रशासन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक हैं। अलेक्जेंडर मशीनरी (डडली) लिमिटेड बनाम क्रैबट्री (1974 एलसीआर 120) में यह देखा गया: "कारण बताने में विफलता न्याय से इनकार करने के बराबर हैं। कारण निर्णय लेने वाले के दिमाग से संबंधित विवाद और उस पर आए निर्णय या निष्कर्ष के बीच जीवंत संबंध हैं। कारण व्यक्तिपरकता को वस्तुनिष्ठता से प्रतिस्थापित करते हैं। कारणों को दर्ज करने पर जोर इस बात पर दिया जाता है कि यदि निर्णय "स्फिंक्स के गूढ चेहरे" को उजागर करता है। यह अपनी चुप्पी से, न्यायालयों के लिए अपना अपीलीय कार्य करना या निर्णय की वैधता तय करने में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करना लगभग असंभव हो जाता है। तर्क का अधिकार एक मजबूत न्यायिक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है, कारण न्यायालय के समक्ष मामले पर मस्तिष्क लगाने का संकेत देने के लिए कम से कम पर्याप्त हैं। दूसरा तर्क यह है कि प्रभावित पक्ष यह जान सकता है कि निर्णय उसके विरुद्ध क्यों गया है। प्राकृतिक न्याय की हितकारी आवश्यकताओं में से एक आदेश के कारणों को स्पष्ट करना है, दूसरे शब्दों में, बोल कर व्यक्त करना। "स्फिंक्स का गूढ चेहरा" आमतौर पर न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्रदर्शन के साथ असंगत है।

वर्तमान अपील में उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि गुण-दोष के आधार पर कई कारक थे जिन्हें विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उजागर नहीं किया जा सका क्योंकि उन्होंने गुण-दोष के आधार पर

मामले से निपटने का फैसला नहीं किया, लेकिन मामले को ट्रिब्यूनल को भेजने का निर्देश दिया। इन परिस्थितियों में, हमें लगता है कि यह उचित होगा कि मामले को गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के पास वापस भेज दिया जाए। पक्षकारान के लिए अपने-अपने रुख के समर्थन में सबूत रखने की छूट होगी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विद्वान एकल न्यायाधीश को पहले से ही रिकॉर्ड पर मौजूद या पक्षकारान द्वारा रिकॉर्ड पर लाए जाने वाले विभिन्न सामग्रियों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए मामले का निस्तारण करना होगा। विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश और रिट अपील में खंड पीठ के आक्षेपित तदनुसार दरकिनार किया जाता है। अपील को लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के संकेतित सीमा तक अनुमति दी जाती है ।

वी. एस.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सतीश चंद गोदारा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।